



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62443

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2796/2026

अमरजीत सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कुलदीप सिंह, राजेश कुमार पाल

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 547/2025, धारा 69 बी.एन.एस., थाना- कल्याणपुर, जिला- कानपुर नगर के अंतर्गत, उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक को बी.एन.एस., 2023 की धारा 69 के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 173(4) के तहत दिए गए एक आवेदन के आधार पर दर्ज की गई थी। आवेदक और पीड़िता के बीच दीर्घकालिक संबंध बताए गए हैं और वर्ष 2022 में विवाह के वादे के तहत शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यदि एफ.आई.आर. में किए गए कथनों को सत्य मान भी लिया जाए, तो विवाह का कथित झूठा वादा 1.07.2024 को बी.एन.एस. के लागू होने से पहले किया गया था, इसलिए बी.एन.एस., 2023 की धारा 69 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के आवेदन में प्रस्तुत संस्करण दर्शाता है कि आवेदक और पीड़िता के बीच सौहार्दपूर्ण और सहमति से संबंध थे, जो सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक के कहने पर कथित रूप से लिए गए ऋणों से भी स्पष्ट है। आवेदक के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि उसने यह दर्शाया कि उसने तलाक की डिक्री प्राप्त कर ली है और व्हाट्सएप पर एक फर्जी डिक्री भेजी थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह आरोप झूठा है। पीड़िता को व्हाट्सएप पर तलाक की कोई डिक्री नहीं भेजी गई थी। आवेदक ने अपनी वैवाहिक स्थिति को कभी नहीं छिपाया और अंततः

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परिवार न्यायालय, इटावा द्वारा 22.07.2025 को उसे तलाक दे दिया गया। आवेदक अभी भी पीड़िता से विवाह करने के लिए तैयार है और उसने कभी भी विवाह का कोई झूठा वादा नहीं किया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक ने अपनी वैवाहिक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त की, जो बी.एन.एस. की धारा 69 के अंतर्गत आता है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक ने न केवल बी.एन.एस. की धारा 69 के तहत अपराध किया है, बल्कि एक कूटचिंतित दस्तावेज तैयार करके बी.एन.एस. की धारा 338 के तहत भी अपराध किया है। विवेचना अभी जारी है और इसे जल्द ही तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाएगा। इस बीच, आवेदक की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और उसे कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
6. एफ.आई.आर. विलंब से और धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। आवेदक और पीड़िता के बीच स्वीकार्य रूप से दीर्घकालिक शारीरिक संबंध थे। आवेदक अभी भी विवाह के अपने वादे पर कायम है और उसने इटावा स्थित परिवार न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त कर ली है। पीड़िता को भी तलाकशुदा महिला बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। न्यायालय की राय में, एक दीर्घकालिक संबंध जो अब कड़वाहट में बदल गया है, वह बी.एन.एस. की धारा 69 के दायरे में नहीं आ सकता है।
7. ऊपर बताए गए मामले के सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक- अमरजीत सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजिव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"